कोल इंडिया लिमिटेड Coal lndia Limited

एक महारत्न कंपनी A Maharatna Company

Coal Bhawan, Premise No.04, MAR,
Plot No.AF-III, Action - lA
New Town, Rajarhat, Kolkata - 700156 (W.B)
Corporate Identity No.L23109WB1973GOI028844
PHONE:/FAX : **033-23244175**
WEBSITE: www.coalindia.in

सीआईएल (मुख्यालय) में कार्यस्थल पर महिला के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण की कार्य-विधि

उद्देश्य:

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013, (इसके बाद संक्षिप्तता के उद्देश्य से 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) जो 22 अप्रैल, 2013 से प्रभावी हुआ है, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) नियम, 2013 (इसके बाद संक्षिप्तता के उद्देश्य से 'नियम' के रूप में संदर्भित) के साथ पठनीय, जो "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने और यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रोकथाम तथा निवारण के लिए एवं इससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए एक अधिनियम है ।"

कार्यस्थल पर समानता एवं सम्मान, यौन उत्पीड़न की रोकथाम तथा जागरूकता के आधार पर कार्यस्थल को प्रोत्साहित करने, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत के मामले में निवारण के लिए तंत्र प्रदान करने आदि की दृष्टि से यह नीति तैयार की गई है।

क्षेत्र:

यह नीति कार्यस्थल (सीआईएल मुख्यालय, न्यू टाउन, राजरहाट) में कार्यरत सभी कर्मचारियों पर नियमित, अस्थायी, तदर्थ या दैनिक वेतन आधार प किसी भी कार्य हेतु या तो प्रत्यक्ष या किसी एजेंट के माध्यम से, ठेकेदार सहित, प्रधान नियोक्ता की जानकारी या उसके बिना, चाहे पारिश्रमिक के लिए है या इसके बिना, या स्वैच्छिक आधार पर कार्य करना या अन्यथा, चाहे इसमें रोजगार की शर्तें व्यक्त या निहित हो तथा किसी सहकर्मी सहित, कोई संविदा कर्मचारी, परिवीक्षाधीन, प्रशिक्षु, शिक्षु या ऐसे किसी अन्य नाम से पुकारा जाता हो, पर लागू होगी।

यौन उत्पीड़न - का अर्थ और परिभाषा वही होगी जैसी अधिनियम की धारा 2 (एन) और धारा 3 (2) में परिभाषित है ।

'अनुशासनात्मक प्राधिकरण' का अर्थ अनुशासनात्मक प्राधिकारी से होगा जिसे कि सीआईएल के प्रमाणित स्थायी आदेशों और उसके अधीन जारी अधिसूचनाओं तथा कोल इंडिया लिमिटेड के आचरण, अनुशासन और अपील नियमों, जैसा भी मामला हो, के तहत परिभाषित किया गया है।

'कर्मचारी' अधिनियम की धारा 2(च) के अनुसार, का अर्थ कार्यस्थल पर किसी कार्य के लिए नियुक्त नियमित, अस्थायी, तदर्थ या दैनिक मजदूरी के आधार पर सीधे या ठेकेदार सहित किसी एजेंट के माध्यम से नियोजित व्यक्ति से है, जिसे एक सह-कर्मी, एक संविदा कर्मी, परिवीक्षाधीन, प्रशिक्षु, शिक्षु या ऐसे किसी अन्य नाम से पुकारा जाता हो।

अधिनियम की धारा 2(ज) के अनुसार **'आंतरिक समिति'**, का अर्थ सीआईएल (मुख्यालय) द्वारा, किसी भी पीड़ित महिला द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायतों की छानबीन/जांच करने तथा मामले का निपटान करने के लिए गठित आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) से है ।

'पीड़ित महिला' अधिनियम की धारा 2(क) के अनुसार, का अर्थ कार्यस्थल के संबंध में, किसी भी उम्र की महिला चाहे वह कार्यरत हो या नहीं, जो प्रतिवादी द्वारा यौन उत्पीड़न के किसी भी कृत्य के अधीन होने का आरोप लगाती है।

'प्रतिवादी' अधिनियम की धारा 2 (ञ) के अनुसार, इसका आशय उस व्यक्ति से होगा जिसके विरुद्ध पीड़ित महिला ने अधिनियम की धारा 9 के तहत शिकायत की है।

अधिनियम की धारा 9 से 14 तथा नियम 6 से 10 के अधीन सीआईएल की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के कार्य और शक्तियां।

शिकायतों के निवारण हेतु कार्य-विधि

शिकायत: (अधिनियम की धारा 9)

महिला कर्मचारी या कोई भी पीड़ित महिला, घटना की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर, तथा घटनाओं में क्रम के मामले में, सीआईएल (मुख्यालय) के आईसीसी को अंतिम घटना की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर, लिखित रूप में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत कर सकती है। आंतरिक शिकायत समिति पीड़ित महिलाओं को लिखित में शिकायत करने के लिए सभी उचित सहायता प्रदान करेगी। इस समय सीमा को और 3 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, यदि आईसीसी इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसी परिस्थितियाँ थीं जो महिला को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर शिकायत दर्ज करने से रोक रही थीं।

क. जहां पीड़ित महिला अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, वहां शिकायत दर्ज की जा सकती है-

i. उसके रिश्तेदार या मित्र;

ii. उसके सहकर्मी;

iii. राष्ट्रीय महिला आयोग या राज्य महिला आयोग का कोई अधिकारी; या

iv. पीड़ित महिला की लिखित सहमति से, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे घटना की जानकारी है ।

ख. जहां पीड़ित महिला अपनी मानसिक अक्षमता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, वहां शिकायत दर्ज की जा सकती है-

i. उसके रिश्तेदार या मित्र; या

ii. एक विशेष शिक्षक; या

iii. एक योग्य मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक; या

iv. अभिभावक या प्राधिकारी जिसकी देखरेख में वह उपचार या देखभाल प्राप्त कर रही है; या

v. कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे उसके रिश्तेदार या मित्र या विशेष शिक्षक या योग्य मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक, या अभिभावक या प्राधिकरण जिसकी देखरेख में वह उपचार या देखभाल प्राप्त कर रही है; के साथ संयुक्त रूप से घटना की जानकारी है,

ग. जहां पीड़ित महिला किसी अन्य कारण से शिकायत करने में असमर्थ है, वहां घटना की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा महिला की लिखित सहमति से शिकायत दर्ज की जा सकती है।

घ. पीड़ित महिला की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, उसके कानूनी वारिस की लिखित सहमति से, घटना की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज की जा सकती है।

जांच-पड़ताल:

निपटान: (जैसा कि अधिनियम की धारा 10 में निहित है)

शिकायत की जांच-पड़ताल तथा प्रक्रिया: (जैसा कि अधिनियम की धारा 9 से 14 तथा नियम 7 और 10 में निहित है)

1. शिकायतकर्ता को सहायक दस्तावेजों और गवाहों के नाम और पते, यदि कोई हो, के साथ शिकायत की 6 प्रतियां आईसीसी के पास जमा करनी होंगी।

2. सीआईएल की आईसीसी के अध्यक्ष द्वारा शिकायत प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर प्रतिवादी को तत्काल शिकायतों की एक प्रति भेजी जायेगी ।

3. प्रतिवादी अपने दस्तावेजों की सूची और गवाहों के नाम एवं पते, यदि कोई हो, के साथ अपना जवाब आईसीसी से शिकायत की प्रति प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर दाखिल करेगा।

4. समिति, (आईसीसी के अध्यक्ष सहित न्यूनतम तीन सदस्य), जांच में, इसे संदर्भित शिकायत की जांच करते समय, दोनों पक्षों को अलग-अलग बुलाएगी, सुनेगी, सबूत देखेगी (यदि कोई हो), पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को सत्यापित करेगी, पक्षों को गवाह पेश करने और अपनी बात रखने की अनुमति देगी। जांच के दौरान दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

5. यदि शिकायतकर्ता या प्रतिवादी पर्याप्त कारण के बिना अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी द्वारा बुलाई गई लगातार तीन सुनवाई के लिए स्वयं प्रस्तुत होने में विफल रहता / रहती है, तो आईसीसी को जांच कार्यवाही को समाप्त करने या शिकायत पर एक पक्षीय निर्णय देने का अधिकार होगा। हालांकि, जाँच कार्यवाही समाप्त करने या एकपक्षीय निर्णय देने से पूर्व आईसीसी द्वारा अग्रिम रूप से 15 दिनों का लिखित नोटिस दिया जाएगा।

6. आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) प्रक्रिया के दौरान शामिल सभी व्यक्तियों की पहचान, पीड़ित महिला, प्रतिवादी, और गवाहों की पहचान और पते और शिकायतों की सामग्री और इसकी जांच कार्यवाही, रिपोर्ट, सिफारिशें आदि की रक्षा करेगी, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई तथा उक्त जानकारी को किसी भी तरह से जनता, प्रेस और मीडिया को संप्रेषित या अवगत नहीं कराई जाएगी। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे उक्त सूचना को सुरक्षित रखने का कार्य सौंपा गया है, द्वारा उल्लंघन करने पर, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा उससे 5000/- रुपये जुर्माना के रूप में वसूल जायेगा ।

7. किसी भी पक्ष को शिकायत समिति के समक्ष कार्यवाही के किसी भी चरण में अपने मामले में प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी कानूनी पेशेवर को लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. जांच के अंत में, समिति शिकायत के निष्कर्षों की एक रिपोर्ट तैयार करेगी और जांच पूरी होने की तिथि से 10 दिनों के भीतर अनुशासनिक प्राधिकारी, पीड़ित महिला और प्रतिवादी को उक्त रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करेगी।

9. यदि जांच के निष्कर्ष पर आंतरिक शिकायत समिति को पता चलता है कि आरोप दुर्भावनापूर्ण था या जानबूझकर झूठी शिकायत की गई है, और या कोई जाली/भ्रामक दस्तावेज प्रस्तुत किया है, तो समिति अनुशासनिक प्राधिकारी से दुर्भावनापूर्ण शिकायत करने वाली महिला के विरुद्ध वही कार्रवाई करने की सिफारिश करेगा जो इस नीति के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध आरोप के सिद्ध होने के मामले में निर्धारित कार्रवाई है । ऐसे सभी मामलों में किसी भी कार्रवाई की अनुशंसा करने से पूर्व महिला की ओर से दुर्भावनापूर्ण इरादे को साबित किया जाना चाहिए। हालांकि, शिकायत को प्रमाणित करने

या पर्याप्त सबूत प्रदान करने में असमर्थता के लिए शिकायतकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी कार्रवाई की अनुशंसा करने से पूर्व, सीआईएल के सीडीए नियमों / सीएसओ, जैसा भी मामला हो, के अनुसार जांच के बाद शिकायतकर्ता की ओर से दुर्भावनापूर्ण इरादे सिद्ध किए जाएंगे।

10. आईसीसी आम तौर पर शिकायत प्राप्त होने के नब्बे दिनों की अवधि के भीतर जांच पूरी करेगा।

11. जांच पूरा होने के दस दिनों के भीतर आईसीसी प्रतिवादी के अनुशासनिक प्राधिकारी को सिफारिशों सहित अपने निष्कर्ष और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

12. अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा आईसीसी की सिफारिशें प्राप्त करने के 60 दिनों के भीतर कार्रवाई की जाएगी ।

13. जहां सीआईएल के किसी अधिकारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की शिकायत है, ऐसी शिकायतों की जांच के लिए शिकायत समिति, इन नियमों के प्रयोजन के लिए, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त जांच प्राधिकारी मानी जाएगी, यदि यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने के लिए शिकायत समिति के लिए अलग प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है, तो जांच जहां तक संभव हो इन नियमों में निर्धारित प्रक्रिया (कोल इंडिया के अधिकारियों के आचरण, अनुशासन और अपील नियमों के नियम संख्या 30.2) के अनुसार की जाएगी ।

सहायता:

जांच के लंबित रहने के दौरान: (जैसा कि अधिनियम की धारा 12 और नियम 8 में निहित है)

जांच पूरी होने पर: (अधिनियम की धारा 13 से 15) के अनुसार

क. यदि आरोप साबित नहीं हुआ है, तो आईसीसी अनुशासनिक प्राधिकारी को सिफारिश करेगा कि इस मामले में कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

ख. यदि प्रतिवादी के विरुद्ध आरोप सिद्ध हो जाता है तो समिति प्रतिवादी के अनुशासनिक प्राधिकारी को सिफारिश करेगी:-

- सीआईएल के सीडीए नियमों/ सीएसओ में उल्लिखित कदाचार के अनुसार कार्रवाई।
- लागू सेवा नियमों में किसी भी बात के होते हुए भी, प्रतिवादी के वेतन या मजदूरी से वह राशि की कटौती करने हेतु जो वह पीड़ित महिला या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को भुगतान करने के लिए उचित समझे;

- यदि प्रतिवादी इसका भुगतान करने में विफल रहता है, तो आईसीसी भू-राजस्व बकाया के रूप में राशि की वसूली के लिए संबंधित जिला अधिकारी को आदेश अग्रेषित कर सकता है।

आईसीसी पीड़ित महिला को मुआवजे का निर्धारण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा:-

क. पीड़ित महिला हुए मानसिक आघात, दर्द, पीड़ा और भावनात्मक प्रतिघात;

ख. यौन उत्पीड़न की घटना के कारण रोजगार के अवसर में नुकसान;

ग. पीड़िता द्वारा शारीरिक या मानसिक उपचार के लिए किए गए चिकित्सा व्यय ।

घ. प्रतिवादी की आय और वित्तीय स्थिति ।

ङ. एकमुश्त या किश्तों में इस तरह के भुगतान की व्यवहार्यता ।

च. सेवाओं से समाप्ति या परामर्श सत्र से गुजरना या सामुदायिक सेवाएं करना ।

इस अधिनियम के तहत नियोक्ता के कर्तव्य (अधिनियम की धारा 19 एवं नियम 13)

यह कानून नियोक्ता के कुछ कर्तव्य भी निर्धारित करता है जिसमें कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना, कार्यशालाओं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के संबंध में शिकायत दर्ज करने में महिला की सहायता करना आदि शामिल हैं।

क्या आरटीआई अधिनियम, 2005 (अधिनियम की धारा 16 एवं 17 तथा नियम 12) उत्तरप्रद है।

2005 के आरटीआई अधिनियम के अधीन कुछ भी शामिल होने के बावजूद, धारा **9** के तहत की गई शिकायत की सामग्री, पीड़ित महिलाओं, प्रतिवादी और गवाहों की पहचान और पता; सुलह और जांच की कार्यवाही से संबंधित कोई भी जानकारी, आईसीसी की सिफारिशों और इस अधिनियम के तहत अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई को किसी भी तरह से प्रकाशित, संप्रेषित या सार्वजनिक, प्रेस और मीडिया को नहीं बताया जाएगा। नाम, पता और पहचान या किसी अन्य विवरण का खुलासा, जिससे पीड़ित महिलाओं या गवाहों की पहचान हो सकती है, किए बिना इस अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न के किसी भी पीड़ित को सुरक्षित न्याय के संबंध में सूचना का प्रसार किया जा सकता है ।

अन्य अनुपालन (नियम 14)

आंतरिक समिति प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में, निर्धारित प्रपत्र और समय पर, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे निदेशक (कार्मिक), सीआईएल को प्रस्तुत करेगी।

रिपोर्ट में निम्नलिखित विवरण होंगे:

1. वर्ष में प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या;
2. वर्ष में निपटाई गई शिकायतों की संख्या;
3. 90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या;
4. यौन उत्पीड़न के विरुद्ध आयोजित कार्यशालाओं या जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या;
5. अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई की प्रकृति।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 **के प्रावधानों के तहत गठित आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की अनुशंसा के विरुद्ध अपील: (अधिनियम की धारा 18 और नियम 11)**

कोई भी व्यक्ति जो आईसीसी द्वारा की गई अनुशंसाओं या इस तरह की अनुशंसा के गैर-कार्यान्वयन से व्यथित है, अनुशंसा के 90 दिनों की अवधि के भीतर, सीआईएल के सीएसओ / सीआईएल के सीडीए नियमों, जैसा भी मामला हो, के तहत निर्दिष्ट संबंधित प्राधिकरण को अपील कर सकता है।

कोल इंडिया के अधिकारियों के आचरण, अनुशासन और अपील नियमों के खंड संख्या **33.1** के अनुसार) - पीड़ित कार्यपालक कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत गठित आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की अनुशंसा के विरुद्ध अपील कर सकते हैं। अपील अनुसूची में निर्दिष्ट संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

जिस अनुशंसा के विरुद्ध अपील की जानी है, उसके प्रसारण की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर अपील की जाएगी। अपील अनुशासनिक प्राधिकारी को भेजी जाएगी तथा आईसीसी को प्रस्तुत की जाएगी जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है। आईसीसी अपनी टिप्पणियों और मामले के रिकॉर्ड के साथ अपील को अनुशासनात्मक प्राधिकारी को 15 दिनों के भीतर अग्रेषित करेगा। अनुशासनिक प्राधिकारी इस बात पर विचार करेगा कि क्या निष्कर्ष न्यायोचित हैं या क्या जुर्माना अत्यधिक या अपर्याप्त है और अपील की तिथि से तीन महीने के भीतर उचित आदेश पारित करेगा। अनुशासनिक प्राधिकारी दंड की पुष्टि करने, बढ़ाने, घटाने या रद्द करने या उस मामले को प्राधिकरण को भेजने जिसने जुर्माना लगाया था या किसी अन्य प्राधिकारी को ऐसे निर्देश के साथ जो वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझते हो, का आदेश पारित कर सकता है ।